न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भिनाय, जिला अजमेर

(पीठासीन अधिकारी प्रभात त्रिपाठी) आर.ए.एस

प्रकरण सं. / प्रार्थना पत्र / एल.आर. / 53 / 2021

1. सजनी पत्नी शम्भू जाति रेबारी निवासी मोतीपुरा, ग्राम पंचायत देवपुरा, तहसील भिनाय अजमेर

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भिनाय तहसील भिनाय जिला अजमेर

अप्रार्थी

निर्णय अन्तर्गत धारा 136 भू-राजस्व अधिनियम

निर्णय दिनांक:-26.07.2022

उपस्थित :- 1. वकील प्रार्थी- त्रिलोक जांगिड़
2. पैरोकार सरकार

प्रार्थी ने इस प्रार्थना-पत्र में सारांशः निवेदन किया है कि मौजा मोतीपुरा पटवार मण्डल रूपपुरा भू0 अभिलेख क्षेत्र बान्दनवाड़ा तहसील भिनाय जिला अजमेर की जमाबंदी संवत् 2073-76 के खाता सं0 12 में दर्ज आराजी ख.न. 600 रकबा 0.17 है0 कुल किता-1 कुल रकबा 0.17 है0 भूमि प्रार्थीयां की खातेदारी में दर्ज है। जिसमें प्रार्थीयां का नाम काली पत्नी शंभू जाति राईका दर्ज हो गया है, जो कि गलत है। जबकि प्रार्थीगण का सही नाम संजनी पत्नी शंभू जाति राईका है। अतः राजस्व अभिलेख में प्रार्थीयो का सही नाम दर्ज कराकर अभिलेख सही करवाया जावें।

प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थी पैरोकार सरकार को जरिये नोटिस तलब किया गया। पत्रावली मे पैरोकार सरकार का जवाब प्राप्त किया गया। उभयपक्षकारान उपस्थित। उभयपक्षकारान को सुना गया। बहस उभयपक्षकार सुनी गई। पैरोकार सरकार द्वारा काली पत्नी शंभू जाति राईका नाम की कोई अन्य महिला नहीं होना स्वीकार किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों यथा ग्राम मोतीपुरा पटवार हल्का रूपपुरा भू0अ0क्षे0 बान्दनवाड़ा की जमाबन्दी 2073-2076 खाता सं0 157, प्रार्थी के राशन कार्ड, जनआधार कार्ड, मतदाता पहचात पत्र, आधार कार्ड, प्रार्थी द्वारा प्रदत शपथ-पत्र, सरपंच ग्राम पंचायत देवपुरा द्वारा जारी प्रमाण-पत्र, पटवारी रूपपुरा एवं सरपंच देवपुरा के मौका पर्चा एवं दो स्वतन्त्र गवाहों घासी पुत्र कल्याण जाट, रामकरण पुत्र भैरू बैरवा द्वारा प्रस्तुत शपथ-पत्रों का गहनता से अध्ययन करने के बाद प्रार्थीयां द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र अनुतोष योग्य होने से स्वीकार किया जाकर तहसीलदार भिनाय को यह आदेश दिए जाते है कि मौजा मोतीपुरा पटवार मण्ड़ल रूपपुरा भू0 अभिलेख क्षेत्र बान्दनवाड़ा तहसील भिनाय जिला अजमेर की जमाबंदी संवत् 2073-76 के खाता सं0 12 में दर्ज आराजी ख.न. 600 रकबा 0.17 है0 कुल किता-1 कुल रकबा 0.17 है0 भूमि पर राजस्व अभिलेख में खातेदार का नाम काली पत्नी शम्भू के स्थान पर सही नाम सजनी पत्नी शम्भू दुरूस्त किये जाने के आदेश पारित किए जाते है। शेष इन्द्राज बदस्तुर रहें। राजस्व अभिलेख में जरिये नामान्तरण अमल-दरामद की कार्यवाही की जावें।

पत्रावली फैसल शुमार दर्ज होकर नंबर से कम हो। बाद तामील तकमील होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 26.07.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर मेरे इजलास न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी भिनाय (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Prabhat Tripathi
Date: 2022.10.05 15:50:25 IST
Reason: SelfAttested

26.7.2022
(प्रभात त्रिपाठी)
उपखण्ड अधिकारी
भिनाय, अजमेर

उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (अजमेर) राज

Scanned with CamScanner